



## मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) अहमदपुर

पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

गोविन्द सिंह पुत्र अर्जुनसिंह खारवाल निवासी आस्टोली तह0 गंगापुर सिटी

—वादी

बनाम

1. कमलेश पुत्र सूखा, खारवाल निवासी जियापुर तह0 गंगापुर सिटी
2. चेताराम पुत्र सूखा, खारवाल निवासी जियापुर तह0 गंगापुर सिटी
3. कान्ता पुत्री सूखा, खारवाल निवासी जियापुर तह0 गंगापुर सिटी
4. नर्वदा पत्नी मिश्रीलाल खारवाल निवासी जियापुर तह0 गंगापुर सिटी
5. निर्वाज पुत्र मिश्रीलाल खारवाल निवासी जियापुर तह0 गंगापुर सिटी
6. लक्ष्मीनारायण पुत्र मिश्रीलाल खारवाल निवासी जियापुर तह0 गंगापुर सिटी
7. भागीरथ पुत्र हजारी ब्राह्मण निवासी जियापुर तह0 गंगापुर सिटी
8. जगदीश पुत्र हजारी ब्राह्मण निवासी जियापुर तह0 गंगापुर सिटी
9. विरमा पुत्री हजारी ब्राह्मण निवासी जियापुर तह0 गंगापुर सिटी
10. शकुन्तला पुत्री हजारी ब्राह्मण निवासी जियापुर तह0 गंगापुर सिटी
11. गुडडी पुत्री हजारी ब्राह्मण निवासी जियापुर तह0 गंगापुर सिटी
12. अनिता पुत्री हजारी ब्राह्मण निवासी जियापुर तह0 गंगापुर सिटी
13. लेण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 141/2019

वादी की ओर से वादी गोविन्दसिंह की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी कोई नही की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 24.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष जतिन निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है कि वे अपनी अध्यक्षता में एक गिरदावर एवं दो पटवारियों की टीम का गठन कर मुनि ख0न0 507/390 रकबा 38 एयर तथा ख0न0 390 रकबा 38 एयर ग्राम जियापुर का सीमाज्ञान करावे। सीमाज्ञान के पश्चात वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है और प्रतिवादीगण कब्जा नहीं छोड़ते है तो वादी को नया दावा पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 24.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई



मुनिदेव यादव  
उपखंड अधिकारी  
उपखंड अधिकारी  
गंगापुर सिटी  
कलेक्टर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .....रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	